न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4067/तीन/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 15–12–2015– पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस– प्रकरण कमांक 30/2015–16 अपील

अनिल उर्फ गुड्डू श्रीवास्तव पुत्र कृष्ण स्वरूप
इंजीनियरिंग वर्कशॉप ग्राम सैसई सड़क
तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी, म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– खच्चू पुत्र गयाजीत राव ग्राम सैसई
सड़क तहसील कोलारस जिला शिवपुरी ---अनावेदक

2– विशाल पुत्र अशोक श्रीवास्तव ग्राम सैसई
सड़क तहसील कोलारस जिला शिवपुरी

3– पिंटू पुत्र अशोक श्रीवास्तव ग्राम सैसई
सड़क तहसील कोलारस जिला शिवपुरी ---तरतीवीं अनावेदकगण

(श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभिभाषक – आवेदक)

आ दे श

(दिनांक 28 दिसम्बर, 2015)

अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस व्दारा प्रकरण कमांक 30/2015–16 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15–12–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र-1 ने तहसीलदार कोलारस को आवेदन देकर बताया कि ग्राम सेसई सड़क स्थित उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 766 के रकबा 0.05 हैक्टर (आगे जिसे वादोक्त भूमि लिखा गया है) पर आवेदक ने कब्जा कर लिया है इसलिये कब्जा दिलाया जावे। नायव तहसीलदार कोलारस ने प्रकरण क्रमांक 33/14-15 अ 70 दर्ज कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 17-11-15 पारित किया तथा सात दिवस में भूमिस्वामी को कब्जा सौंपने के आदेश देते हुये रूपये 12,500/-अर्थदण्ड अधिरोपित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस के समक्ष अपील क्रमांक 30/15-16 प्रस्तुत की एंव अपील मेमो के साथ म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा-52 का आवेदन देकर स्थगन की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी कोलारस ने अंतरिम आदेश दिनांक 15-12-15 से धारा-52 का आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा तर्क दिया गया कि नायव तहसीलदार के समक्ष आपत्ति की गई थी कि अनावेदक क्र-1 ने स्वेच्छा से दिनांक 18-11-2003 को आवेदक के हित में विक्रय अनुबन्ध संपादित किया है एंव उसके बदले 85,000/-रूपये नकद प्राप्त करके मौके पर कब्जा सौंपा है तभी से आवेदक का निरन्तर कब्जा है एंव भूमि पर गौरी इंजीनियरिंग वर्कशॉप चल रही है। आवेदक व्दारा विक्रय पत्र संपादित न किये जाने के कारण व्यवहार

वाद भी दायर किया है परन्तु नायव तहसीलदार ने इन तथ्यों की अनदेखी करके त्रृटिपूर्ण ढंग से बेदखली आदेश पारित किया है और जब इन्हीं तथ्यों को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष रखकर स्थगन की मांग की, तब अनुविभागीय अधिकारी कोलारस ने स्थगन आवेदन निरस्त करने में भूल की है। स्थगन न मिलने पर तहसीलदार व्दारा उसके वर्कशॉप की तोड़फोड़ कर दी जाएगी तथा सिविल जेल की कार्यवाही की जाएगी , जिससे उसे अपरमित हानि होगी। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण के अंतिम निराकरण तक स्थगन दिये जाने की मांग रखी।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक एंव अनावेदक के बीच वादोक्त भूमि के सम्बन्ध में जर्ये नोटरी विक्रय अनुबंध हुआ है अनुबंध पत्र की छायाप्रति आवेदक ने प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी भू अर्जन कोलारस व्दारा मुआवजा राशि वितरण की सूची की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसके सरल कमांक 26 पर आवेदक को मुआवजा देने का विवरण अंकित है तथा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत दावे की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में विचार यह करना है कि अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस ने अंतरिम आदेश 15-12-15 से आवेदक के हित में स्थगन जारी न करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ? म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 - चंद्रिका प्रसाद विरूद्व म0प्र0 राज्य 1991 रा0नि0 236 में निर्णीत किया गया है कि रोक का आदेश देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है । इस विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिये और रोक के बारे में किए गए आदेश से प्रकट होना चाहिये कि न्यायालय ने मामले के तथ्यों और विवादित प्रश्नों

पर विचार किया है। परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी कोलारस ने अंतरिम आदेश दिनांक 15-12-15 पारित करते समय उनके समक्ष आये प्रत्येक बिन्दु पर गौर न कर सरसरी तौर पर निर्णय लिया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15-12-15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी कोलारस व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15-12-15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 17-11-15 को 15 दिवस के लिये स्थगित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि अनुविभागीय अधिकारी नीचे दिये गये बिन्दुओं पर जांच विचार कर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

1. क्या आवेदक एंव अनावेदक क्र-1 के बीच विक्रय संव्यवहार हेतु अनुबन्ध पत्र निष्पादित हुआ है?
2. क्या वादोक्त भूमि से सम्बन्धित मुआवजा राशि आवेदक को वितरित की गई है?
3. क्या विचाराधीन भूमि के सम्बन्ध में उभय पक्ष के मध्य सिविल वाद विचाराधीन है ?
4. स्थगन के सम्बन्ध में सुविधा-सन्तुलन वादी अथवा प्रतिवादी किसके पक्ष में है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर